

परिशिष्ट

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों हेतु विपथनके लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र ।

प्रपत्र क

(पैरा 2.2(1) देखें)

(यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना विवरण :

(1) अपग्रेडेशन कस्बाथाना से बमनगंवां

:- अपग्रेडेशन कस्बाथाना से बमनगंवां को जोड़ने हेतु इससे कम दूरी का अन्य रास्ता नहीं है। यह सड़क वन क्षेत्र से गुजरती है।

(2) वांछित वन भूमि का विवरण (2 विकल्पों का उल्लेख करें)

क. स्थान सर्वे संख्या/कम्पार्टमेंट संख्या —

ख. क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर में) —

5.20 हेक्टेयर

ग. वन मण्डल —

बारां

घ. 1:50,000 के स्केल मैप पर निकटवर्ती वन की सीमा तथा वांछित वन भूमि को नक्शे पर दिखाएं।

2. प्रस्तावित भवन/गतिविधि क्षेत्र मैप के साथ वांछित कुल वन भूमि का उद्देश्यवार अलग-अलग विवरण।

3. प्रस्तावित वन भूमि के अनारक्षण के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसमें अनुरक्षण या दण्ड प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत जो कि नियमानुसार होगी, निर्धारित की जावेगी, उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग देने को तैयार होंगे।

4. ग्राम सभा की संस्तुति-स्वीकृत/अस्वीकृत

यूजर एजेंसी हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

तिथि

स्थान

(बड़े अक्षरों में नाम)

पता

प्रस्ताव की क्रम संख्या 2 / 18 / 9 / 2014

(रेंज वन अधिकारी द्वारा प्राप्ति तिथि के साथ भरा जाएगा)

वनाधिकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।

ग्राम सभा / पटन सांचेव
ग्राम सभायत
पटन सांचेव
पटन सांचेव (बारां)

हस्ताक्षर
पटवारी
वमनगंवां
पटवारी
पटवारी

हस्ताक्षर
वन पाल
नाक/पटवारी

विजय स्टेशनर्स मार्ट, आर्य समाज रोड, काटा फोन - 9352626682.

वर्ष 200 2014

6

2000

Sent to



Lakshmi

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

विजय स्टेनार्स मार्ग, आर्य समाज रोड, कोटा फोन - 9352626682

ग्राम पंचायत

पंचायत समिति

जिला

वर्ष 200

ठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के ह.
1	2	3	4	5	6
			35 मधुसूदन सिंह		मधुसूदन
			36 नारायण सिंह	5) मधुसूदन बाली लड़क	नारायण सिंह
			37 नारायण	बाली सेवरी 424271=10	नारायण
			38 सुख	6) चरणम विभाजन 402745=10	सुख
			39 सरन	वित्तिय	सरन
			40 राहु	7) पं. 100 के. 27397=10	राहु
			41 दिनेश		दिनेश
			42 सुकेत	कुल मर 1904088=10	सुकेत
			43 मन्मथ केशव	बैकुंठ प्रेम 1669=10	मन्मथ
			44 पद्मेवी पटेल	हरा मर 19057057=10	पद्मेवी
			45 धामी बरि		धामी
			46 सुनेश	ग्रामसेवक राप नोगर बास करे जे 6 मर	सुनेश
			47 रामसखी	कोर के बिल वाउन्ड व महेल जगल को	रामसखी
			48 राजेश	डिजाई गई। तथा बापों पर लगे शर्तों	राजेश
			49 नरेश	के उगलान की जानकारी की गई तथा	नरेश
			50 सुख		सुख
			51 नरेश	लोगों के बलाप कि हमी मादोलो का	नरेश
			52 धीरु	उगलान के उमर है	धीरु
			53 बहादुर	तथा हमी के भी कोई कागज	बहादुर
			54 मजसुल सिंह	नहीं है। हमी लगे का सर्वमाली के	मजसुल
			55 सुकेत	कगोडक किया जाता है	सुकेत
			56 प्रीत	यह प्रमाण सर्वमाली के पारित	प्रीत
			57 धनू	किया जाता है।	धनू
			58 शाही बरि		शाही
			59 लोडोवर्त	प्रमाण 402 न वन विभाग के मंहारि सदन	लोडोवर्त
			60 सुनिमावर्त	कार्य काबोरे एवं अनापानि प्रमाण	सुनिमावर्त
			61 जगदीश	जारी करे पर विभाग क्रिय-7	जगदीश
			62 सुनील		सुनील
			63 कल्ला	ग्रामसेवक से	कल्ला
			64 हरकेत	समिति के बलाप कि ग्राम पंचायत के मंहारि	हरकेत
			65 रामेश्वरी	दो लड़के का निधन बाप जल (1) है जो	रामेश्वरी
			66 रामकली	मिन प्रमाण है है	रामकली
			67 कल्ला		कल्ला
			68 देवीलाल	1) सदन निमति वनगांव से कल्लाचाना	देवीलाल
			69 रामसिंह	(P.W.D.)	रामसिंह
			70 सुकेत	2) सदन निमति केमली से वसली रोड से	सुकेत
				वसली रोड (नौगा)	सुकेत

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

विजय स्टेशनर्स मार्ट, आर्य समाज रोड, कोटा फोन - 9352626682


 ग्राम पंचायत बागमरवा पंचायत समिति झाडावाड़ा जिला बाँरा वर्ष 2014

ठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के ह.
1	2	3	4	5	6
			71 20/3/11	दोनों तरफों का मार्ग बन विभाग की जमीन	सुभाष
			72 मोहन	कठि के कारण बन्द चल रहे हैं इन्हें	मोहन
			73 चन्दाबा	शीघ्र चला कर दिया जाना कठि कागधवा है	चन्दाबा
			74 कृष्ण कर्क	बन विभाग की भूमि के बदले	कृष्ण
			75 मजबूत सिंह F.P.D. डी.बी.ए.	अन्य कोई जमीन दी जाती है तो गांव	मजबूत सिंह
			76 उमेश सिंह	पंचायत को कोई कागधवा नहीं देनी।	उमेश
			77 राहु पटेल	गांव पंचायत दोनों मार्ग को चला अने	राहु
			78 राजकुमार	की कठि घेरा, फाली है	राजकुमार
			79 सुमन रावत	मह सलाह गांवधवा का सर्वेक्षण	सुमन
			80 वसन्ती	से पालित किया जाना है	वसन्ती
			81 रामो कर्क	गलाब 3 → पंचायत द्वारा कराये गये निरीक्षण	रामो कर्क
			82 सुनी	गांव के पंच के अनुसार पंच विभाग	सुनी
			83 सुनी	विभाग →	सुनी
			84 मनपत	पंचायत में समिति में	मनपत
			85 मधुसूदन कुमार		मधुसूदन कुमार
			90 सुभाष बाई		सुभाष बाई
			91 समता बाई	पंचायत की वर्ष 2014-15 के खर्च कराये गये	समता
			92 सुभाष बाई	निकल निगमि बापों के किल/वसन्त गांवधवा में	सुभाष बाई
			93	देवित सिंह	देवित सिंह
			94 हरिको पुरोहित	① विभाजन सेवा केन्द्र कट किलेज गांवधवा	हरिको पुरोहित
			95 सुमन सिंह	सेवा निगमि वसन्त गांवधवा 4,99,960/- खर्च	सुमन सिंह
			96 डामर सिंह मेहता	② ए. अमिताभ सुभाष केन्द्र निगमि वसन्त गांवधवा 3,99,930/- खर्च	डामर सिंह
			97 देवेंद्र	③ सी.सी.एस. जे.पी. केन्द्र निगमि वसन्त गांवधवा 4,99,955/- खर्च	देवेंद्र
			98 शरन	④ सी.सी.एस. जे.पी. केन्द्र निगमि वसन्त गांवधवा 4,99,840/- खर्च	शरन
			99 इन्दल सिंह	⑤ सी.सी.एस. जे.पी. केन्द्र निगमि वसन्त गांवधवा 86034/- खर्च	इन्दल सिंह
			100 अमराज	⑥ सी.सी.एस. जे.पी. केन्द्र निगमि वसन्त गांवधवा 4,99,840/- खर्च	अमराज
			101 पञ्चू	⑦ सी.सी.एस. जे.पी. केन्द्र निगमि वसन्त गांवधवा 4,99,840/- खर्च	पञ्चू
			102 लाल	⑧ सी.सी.एस. जे.पी. केन्द्र निगमि वसन्त गांवधवा 4,99,840/- खर्च	लाल
			103 आनन्द	⑨ सी.सी.एस. जे.पी. केन्द्र निगमि वसन्त गांवधवा 4,99,840/- खर्च	आनन्द
			104 गेरा	⑩ सी.सी.एस. जे.पी. केन्द्र निगमि वसन्त गांवधवा 4,99,840/- खर्च	गेरा
			105 अश्विनी	⑪ सी.सी.एस. जे.पी. केन्द्र निगमि वसन्त गांवधवा 4,99,840/- खर्च	अश्विनी
			106 शीलचन्द्र	⑫ सी.सी.एस. जे.पी. केन्द्र निगमि वसन्त गांवधवा 4,99,840/- खर्च	शीलचन्द्र
			107 बालू	⑬ सी.सी.एस. जे.पी. केन्द्र निगमि वसन्त गांवधवा 4,99,840/- खर्च	बालू
			108 रामजी लाल	⑭ सी.सी.एस. जे.पी. केन्द्र निगमि वसन्त गांवधवा 4,99,840/- खर्च	रामजी लाल
			109 अश्विनी	⑮ सी.सी.एस. जे.पी. केन्द्र निगमि वसन्त गांवधवा 4,99,840/- खर्च	अश्विनी
			110 नन्दु बाबा	⑯ सी.सी.एस. जे.पी. केन्द्र निगमि वसन्त गांवधवा 4,99,840/- खर्च	नन्दु बाबा
			111 अलदीप	⑰ सी.सी.एस. जे.पी. केन्द्र निगमि वसन्त गांवधवा 4,99,840/- खर्च	अलदीप
			112 रामसिंह	⑱ सी.सी.एस. जे.पी. केन्द्र निगमि वसन्त गांवधवा 4,99,840/- खर्च	रामसिंह

विजय स्टेशनर्स मार्ट, आर्य समाज रोड, कोटा फ़ोन - 9352626682

वर्ष 20१५

बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के ह.
1	2	3	4	5	6
			113 मोहन सिंह	(9) चौपाल हेतु कदम निर्धारित	मोहन
			114 विमला	50 वरगी बनाया	विमला
			115 मान सिंह	निर्धारित 149844/ख	मान सिंह
			116 सुबोध सिंह	(10) के.ए. हेतु पत्र व्यवहार	सुबोध
			117 लाल राम	स्टेड के को के पास बनाया	लाल राम
			118 रामराज	अयोध्या सभी काफ़ी का मेकनिक तलाफ	रामराज
			119 धर्मपाल	कर फैसला द्वारा बिना गद गद का सबी-	धर्मपाल
			120 विक्रम सिंह	सम्मान के अनुमोदन किया जाता है	विक्रम
			121 राजेश	पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है	राजेश
			122 मदनलाल	प्रस्ताव 60 प → गांव - लेटर के स्थान के	मदनलाल
			123 मनमोहन	पाठ हेतु पत्र व्यवहार	मनमोहन
			124 जगदीश	निर्णय →	जगदीश
			125 लाल राम	गांव के लोगों के गांव की	लाल राम
			126 गोपाल सिंह	कि गांव लेटर (बलेरी) के सार्वजनिक वली	गोपाल
				स्टेड के पास हेतु पत्र व्यवहार लोगों की 1-00 बावरी	
				सीएम के वी लच्छा का की गांव के सार्वजनिक	
				सम्पन्न 500 रुपये	
				ग्राम पंचायत बमनगवाँ	
				पंच सचिव शाहीबाद (बारा)	

आज दिनांक 18/12/19 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली सड़क अपग्रेडेशन कस्बाथाना से बमनगंगा जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द हैं उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि में सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्व सम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवं किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सड़क बनाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 2 पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई ।

बमनगंगा
सरपंच
सरपंच ग्राम पंचायत
बमनगंगा
पंचायत समिति शाहाबाद

सचिव
बमनगंगा
पंचायत समिति शाहाबाद

आज दिनांक 30-10-2014 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार कमैटी से वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क अपग्रेडेशन कस्बाथाना से बमनगंवां के लिए प्राप्त प्रस्ताव सं. 2/18.09.2014 जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय कमैटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमैटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है । अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं है । अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड शाहाबाद

रेंजर वन क्षेत्र
शाहाबाद / केवलखंडा

विकास अधिकारी
पं.स. शाहाबाद

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No. 26/2014Dated 25.11.2014**To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights.) Act. 2006 ('FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 5.20 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Shri Hari Prasad Meena Executive engineer Public Works Department Div.-Shahabad** (name of user agency) for **Construction of Road Work from Kasbathana to Bamangawan** (purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of **Kasbathana and Bamangawan** village(s) in **Shahabad** tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.20 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sbha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (X).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pro agricultural communities.

Encl. : As above.

(Lalit Kumar Gupta)
Collector & D.M.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)